

बिहार सरकार
परिवहन विभाग
पत्र संख्या-06/निबंधन-126/2018 परि0.....

प्रेषक,

विशेष कार्य पदाधिकारी
परिवहन विभाग, बिहार, पटना

सेवा में,

सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार।
सभी जिला परिवहन पदाधिकारी।
सभी मोटरयान निरीक्षक।

पटना, दिनांक

विषय:- M/S-MAHINDRA & MAHINDRA LTD. के उत्पाद मॉडल का निबंधन के संबंध में।

महाशय,


निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक M/S-MAHINDRA & MAHINDRA LTD. के द्वारा उनके उत्पाद मॉडल के संबंध में प्रस्तुत केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम 126 के तहत प्राधिकृत जाँच एजेन्सी ARAI, Pune द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र की अभिप्राणित छायाप्रति एवं अन्य कागजात के आधार पर निम्न उत्पाद मॉडल का बिहार राज्य में विक्रय के प्रयोजनार्थ निबंधन की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

Sl.No.	Base Model	Variants	T.A.Certificate/ Date	Types of Vehicle	Price
1	Mahindra XUV 500 FWD W5	1. Mahindra XUV 500 FWD W7 2. Mahindra XUV 500 FWD W9 3. Mahindra XUV 500 FWD W11	AANN 0062/13-02-2018	Passenger Vehicle-M1	निबंधन के समय उपलब्ध कराया जाएगा।
2	Mahindra XUV 500 FWD W7 AT	1. Mahindra XUV 500 FWD W9 AT 2. Mahindra XUV 500 FWD W11 AT	AANN 0063/13-02-2018	Passenger Vehicle-M1	निबंधन के समय उपलब्ध कराया जाएगा।
3	Mahindra KUV 100 NXT K2 Bi-Fuel (5 Seater)	1. Mahindra KUV 100 Trip Bi-fuel (6 Seater) 2. Mahindra KUV 100 NXT Trip Bi-fuel (5 Seater)	AAMA 0345 V01/25-01-2018	Light Passenger Vehicle-M1	निबंधन के समय उपलब्ध कराया जाएगा।
4	Mahindra KUV 100 NXT K2 mFalcon G80 (6 Seater)	1. Mahindra KUV 100 Trip mFalcon G80 (6 Seater) 2. Mahindra KUV 100 Trip mFalcon G80 (5 Seater)	AAKN 0226 V01/25-01-2018	Light Passenger Vehicle-M1	निबंधन के समय उपलब्ध कराया जाएगा।
5	Mahindra KUV 100 NXT K2 mFalcon D75 (6 Seater)	1. Mahindra KUV 100 Trip mFalcon D75 (6 Seater) 2. Mahindra KUV 100 Trip mFalcon D75 (5 Seater)	AAKN 0225 V01/25-01-2018	Light Passenger Vehicle-M1	निबंधन के समय उपलब्ध कराया जाएगा।
6	Mahindra TUV 300 Plus P4 mHawk 120	1. Mahindra TUV300 Plus P4+ mHawk 120 2. Mahindra TUV300 Plus P6 mHawk 120 3. Mahindra TUV300 Plus P6+ mHawk 120 4. Mahindra TUV300 Plus P8 mHawk 120 5. Mahindra TUV300 Plus P10 mHawk 120	AAMN 0316 F02/25-01-2018	Light Passenger Vehicle-M1	निबंधन के समय उपलब्ध कराया जाएगा।
7	e-Verito D2	1. e-Verito C2 2. e-Verito C4 3. e-Verito C6	AALB 0116 V01/07-02-2018	Battery operated Passenger car-M1	निबंधन के समय उपलब्ध कराया जाएगा।

- निबंधन के पूर्व केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली-1989 के नियम-126 एवं 127 के अन्तर्गत प्रपत्र-22 में प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा तथा नियमावली के नियम-93 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना होगा। इस नियमावली के नियम 33 से 46 का अनुपालन करेंगे।
- वाहन का प्रोटोटाइप जिस प्रकार प्रमाणित किया गया है, निबंधन भी उसी प्रकार के वाहन का होगा।
- इसके साथ रोड वर्थीनेस प्रमाण पत्र मोटर वाहन नियमावली के नियम के अनुपालन का प्रतिवेदन/जाँच प्रतिवेदन/मार्ग निर्देशन वाहन डीलर द्वारा संलग्न किया जायेगा।
- किसी भी परिस्थिति में किसी कम्पनी के नये प्रोडक्ट का निबंधन राज्य परिवहन आयुक्त का आदेश निर्गत होने की तिथि के पूर्व नहीं किया जायेगा। बिना आदेश के यदि निबंधन किया जाता है तो इसकी सम्पूर्ण जवाबदेही आपकी होगी।
- जिला परिवहन पदाधिकारी वाहन विक्रेता के पंजियों की नियमित जाँच करते हुए बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम-1994 की धारा-6 के अधीन करों की वसूली सुनिश्चित करेंगे तथा ट्रेड टैक्स का अद्यतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे।
- जिला परिवहन पदाधिकारी वाहन के निबंधन के समय यह सुनिश्चित करेंगे कि डीलर का ट्रेड प्रमाण पत्र वैध है एवं उनके द्वारा बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 (यथा संशोधित) की धारा-6 के अनुरूप प्रत्येक वाहन के ट्रेड टैक्स का अद्यतन भुगतान किया गया है।

7. बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा 6 शेड्यूल-III के अनुरूप प्रत्येक वाहन के लिए निर्धारित कर की दर से निबंधन के समय भुगतान सुनिश्चित करेंगे।
8. संबंधित Model का बिक्री मूल्य कम्प्यूटर में दर्ज करेंगे।
9. निर्माता कंपनी उक्त मॉडलों/वैरियन्ट के संबंध में COP छः माह के अन्दर इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।
10. माननीय सर्वोच्च/उच्च न्यायालय द्वारा पारित किसी न्यायिक आदेश से यह प्रभावित होगा।

विश्वासभाजन


विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना

बिहार सरकार
परिवहन विभाग
पत्र संख्या-06/निबंधन-126/2018 परि०.....

प्रेषक;

विशेष कार्य पदाधिकारी
परिवहन विभाग, बिहार, पटना

सेवा में,

सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव,
क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार।
सभी जिला परिवहन पदाधिकारी।
सभी मोटरयान निरीक्षक।

पटना, दिनांक

विषय:- M/S-MAHINDRA & MAHINDRA LTD. के उत्पाद मॉडल का निबंधन के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक M/S-MAHINDRA & MAHINDRA LTD. के द्वारा उनके उत्पाद मॉडल के संबंध में प्रस्तुत केन्द्रीय मोटरवाहन नियमावली, 1989 के नियम 126 के तहत प्राधिकृत जाँच एजेन्सी ARAI, Pune द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति एवं अन्य कागजात के आधार पर निम्न उत्पाद मॉडल का बिहार राज्य में विक्रय के प्रयोजनार्थ निबंधन की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

Sl.No	Base Model	Variants	T.A.Certificate/ Date	Types of Vehicle	Price
1	Mahindra XUV 500 FWD W5	1. Mahindra XUV 500 FWD W7 2. Mahindra XUV 500 FWD W9 3. Mahindra XUV 500 FWD W11	AANN 0062/13-02-2018	Passenger Vehicle-M1	निबंधन के समय उपलब्ध कराया जाएगा।
2	Mahindra XUV 500 FWD W7 AT	1. Mahindra XUV 500 FWD W9 AT 2. Mahindra XUV 500 FWD W11 AT	AANN 0063/13-02-2018	Passenger Vehicle-M1	निबंधन के समय उपलब्ध कराया जाएगा।
3	Mahindra KUV 100 NXT K2 Bi-Fuel (5 Seater)	1. Mahindra KUV 100 Trip Bi-fuel (6 Seater) 2. Mahindra KUV 100 NXT Trip Bi-fuel (5 Seater)	AAMA 0345 V01/25-01-2018	Light Passenger Vehicle-M1	निबंधन के समय उपलब्ध कराया जाएगा।
4	Mahindra KUV 100 NXT K2 mFalcon G80 (6 Seater)	1. Mahindra KUV 100 Trip mFalcon G80 (6 Seater) 2. Mahindra KUV 100 Trip mFalcon G80 (5 Seater)	AAKN 0226 V01/25-01-2018	Light Passenger Vehicle-M1	निबंधन के समय उपलब्ध कराया जाएगा।
5	Mahindra KUV 100 NXT K2 mFalcon D75 (6 Seater)	1. Mahindra KUV 100 Trip mFalcon D75 (6 Seater) 2. Mahindra KUV 100 Trip mFalcon D75 (5 Seater)	AAKN 0225 V01/25-01-2018	Light Passenger Vehicle-M1	निबंधन के समय उपलब्ध कराया जाएगा।
6	Mahindra TUV 300 Plus P4 mHawk 120	1. Mahindra TUV300 Plus P4+ mHawk 120 2. Mahindra TUV300 Plus P6 mHawk 120 3. Mahindra TUV300 Plus P6+ mHawk 120 4. Mahindra TUV300 Plus P8 mHawk 120 5. Mahindra TUV300 Plus P10 mHawk 120	AAMN 0316 F02/25-01-2018	Light Passenger Vehicle-M1	निबंधन के समय उपलब्ध कराया जाएगा।
7	e-Verito D2	1. e-Verito C2 2. e-Verito C4 3. e-Verito C6	AALB 0116 V01/07-02-2018	Battery operated Passenger car-M1	निबंधन के समय उपलब्ध कराया जाएगा।

- निबंधन के पूर्व केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली-1989 के नियम-126 एवं 127 के अन्तर्गत प्रपत्र-22 में प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा तथा नियमावली के नियम-93 के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना होगा। इस नियमावली के नियम 33 से 46 का अनुपालन करेंगे।
- वाहन का प्रोटोटाइप जिस प्रकार प्रमाणित किया गया है, निबंधन भी उसी प्रकार के वाहन का होगा।
- इसके साथ रोड वर्थीनेस प्रमाण पत्र मोटर वाहन नियमावली के नियम के अनुपालन का प्रतिवेदन/जाँच प्रतिवेदन/मार्ग निर्देशन वाहन डीलर द्वारा संलग्न किया जायेगा।
- किसी भी परिस्थिति में किसी कम्पनी के नये प्रोडक्ट का निबंधन राज्य परिवहन आयुक्त का आदेश निर्गत होने की तिथि के पूर्व नहीं किया जायेगा। बिना आदेश के यदि निबंधन किया जाता है तो इसकी सम्पूर्ण जवाबदेही आपकी होगी।
- जिला परिवहन पदाधिकारी वाहन विक्रेता के पंजियों की नियमित जाँच करते हुए बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम-1994 की धारा-6 के अधीन करों की वसूली सुनिश्चित करेंगे तथा ट्रेड टैक्स का अद्यतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे।
- जिला परिवहन पदाधिकारी वाहन के निबंधन के समय यह सुनिश्चित करेंगे कि डीलर का ट्रेड प्रमाण पत्र वैध है एवं उनके द्वारा बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 (यथा संशोधित) की धारा-6 के अनुरूप प्रत्येक वाहन के ट्रेड टैक्स का अद्यतन भुगतान किया गया है।

7. बिहार मोटरवाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा 6 शेड्यूल-III के अनुरूप प्रत्येक वाहन के लिए निर्धारित कर की दर से निबंधन के समय भुगतान सुनिश्चित करेंगे।
8. संबंधित Model का बिक्री मूल्य कम्प्यूटर में दर्ज करेंगे।
9. निर्माता कंपनी उक्त मॉडलों/वैरियन्ट के संबंध में COP छः माह के अन्दर इस कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।
10. माननीय सर्वोच्च/उच्च न्यायालय द्वारा पारित किसी न्यायिक आदेश से यह प्रभावित होगा।

विश्वासभाजन

ह0/-

विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक :

पटना, दिनांक :

प्रतिलिपि:-Authorised Signatory : M/S-MAHINDRA & MAHINDRA LTD., Alankar Business Center, East Boring Canal Road, Patna-800001. को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांक :

पटना, दिनांक :

प्रतिलिपि : State Informatic Officer, NIC, Patna को Vahan Software के Master Box में प्रविष्टि करने हेतु/IT Manager, परिवहन विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना